विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड

सेवा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2011 एवं शासन की अधिसूचनाः 837/XXXVI(06)/21-20(02)/21 दिनांक 30.12.2021 द्वारा अधिसूचित सेवाऐं।

नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर)

प्रस्तावनाः–

विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल एवं दक्षता को विकसित करते हुए ऐसे विद्यार्थी तैयार करना जो वर्तमान चुनौतियों को समझने एवं तीव्र गति से बदल रहे. वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम बन सकें तथा विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त सम्मानपूर्वक सक्रिय एवं कार्यकुशल जीवन यापन करने हेतु यथेष्ट वृत्ति चुन सकें। नागरिकों में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, परस्पर सामाजिक समरसता एवं सौहार्द की भावना अक्षुण्ण बनाये रखने के साथ ही भविष्य के लिए ऐसे नागरिक तैयार किये जा सकें जो समाज एवं मानव मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध हों।

लक्ष्यः–

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना।
- शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक विभेद समाप्त करना।
- विद्यालयी शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
- ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए शिक्षा की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना।
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं शिक्षक शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश कर विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करना तथा विद्यालयों एवं कार्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाना।
- विद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- विद्यालयी शिक्षा को कौशलयुक्त एवं व्यवसायोन्मुख बनाना।
- शिक्षक तथा शैक्षिक प्रबन्धकों का सतत व्यावसायिक दक्षता विकास सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर क्रियाकलापों के अवसर उपलब्ध कराना।
- सेवारत प्रशिक्षण को भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित, परिमार्जित एवं प्रभावशाली बनाना।
- अध्ययनशीलता की प्रवृत्ति में अभिवृद्धि हेतु पुस्तकालय तंत्र विकसित करना।
- बच्चों में सकारात्मक ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति को विकसित करते हुए सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास का अवसर प्रदान करना।

- ❖ पाठ्य पुस्तकों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में बुक बैंक स्थापित करना।
- ❖ शिक्षण संस्थानों एवं कार्यालयों में भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों का विकास करना।
- ❖ समस्त कार्मिकों की वास्तविक उपस्थिति (Real Time Attendence) सुनिश्चित करना।
- ❖ राजकीय विद्यालयों में शत–प्रतिशत छात्र नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- ❖ दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना।
- ❖ वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान एवं अन्वेषण की भावना विकसित करना।
- ❖ बालिकाओं एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।

रणनीतिः–

- ❖ शिक्षा की सार्वभौमिकता को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाओं के माध्यम से प्राप्त करना।
- ❖ ग्रामीण मेधावी छात्रों हेतु गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों/राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों/मॉडल स्कूल तथा अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन।
- ❖ बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय/आवासीय छात्रावास का संचालन।
- ❖ सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से Corporate Social Responsibility (CSR) द्वारा विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ❖ अधिगम सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में मासिक मूल्यांकन का आयोजन करना व तदनुसार सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाना।
- ❖ विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शैक्षिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन एवं निरीक्षण/अनुश्रवण को प्रभावी बनाना।
- ❖ माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
- ❖ कक्षा शिक्षण में टी0एल0एम का प्रयोग सुनिश्चित करना तथा स्मार्ट कक्षाओं का संचालन।
- ❖ एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का प्रोफाइल तथा अधिकारी/शिक्षक/कार्मिकों का सेवा संबंधी अभिलेखीय विवरण एवं वार्षिक गोपनीय आख्याओं का ऑनलाइन रख–रखाव करना।
- ❖ समस्त कार्मिकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक मशीन का प्रतिस्थापन करना।
- ❖ कक्षा 1 से 12 तक एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकें लागू करना।
- ❖ न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलीनीकरण करते हुए केन्द्रीयकृत विद्यालयों को संसाधन सम्पन्न बनाना।

- बाल सखा पोर्टल के अन्तर्गत जिज्ञासा लिंक द्वारा विद्यार्थियों का तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के संबंध में सूचना एवं परामर्श प्रदान करना।
- छात्र–छात्राओं में Inspire Award/राष्ट्रीय आविष्कार अभियान/विज्ञान महोत्सव/विज्ञान सेमिनार/विज्ञान संगोष्ठी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति विकसित करना।
- दिव्यांग बच्चों को समावेशित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना।
- मितव्ययता के दृष्टिगत विद्यालयों में बुक–बैंक की स्थापना करना।
- शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के दक्षता विकास हेतु आवश्यकतानुरूप सेवारत प्रशिक्षण संचालित करना।
- विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की पूर्ति करना एवं उपलब्ध संसाधनों का महत्तम उपयोग करना।
- बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यसहगामी क्रिया–कलापों को संचालित करना।

विभाग का विद्यालय स्तरीय ढाँचा

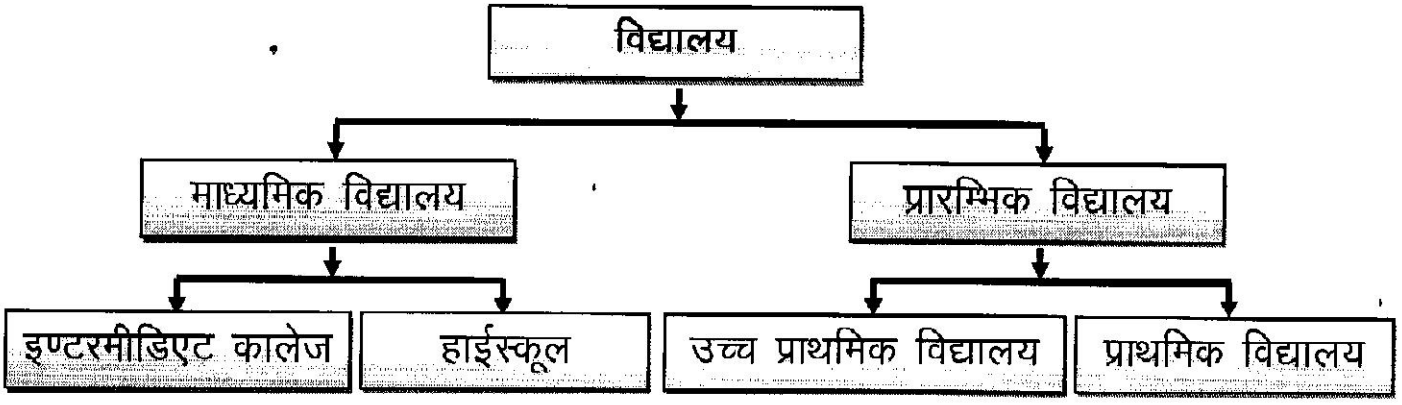

विभाग में संचालित परियोजनाएं

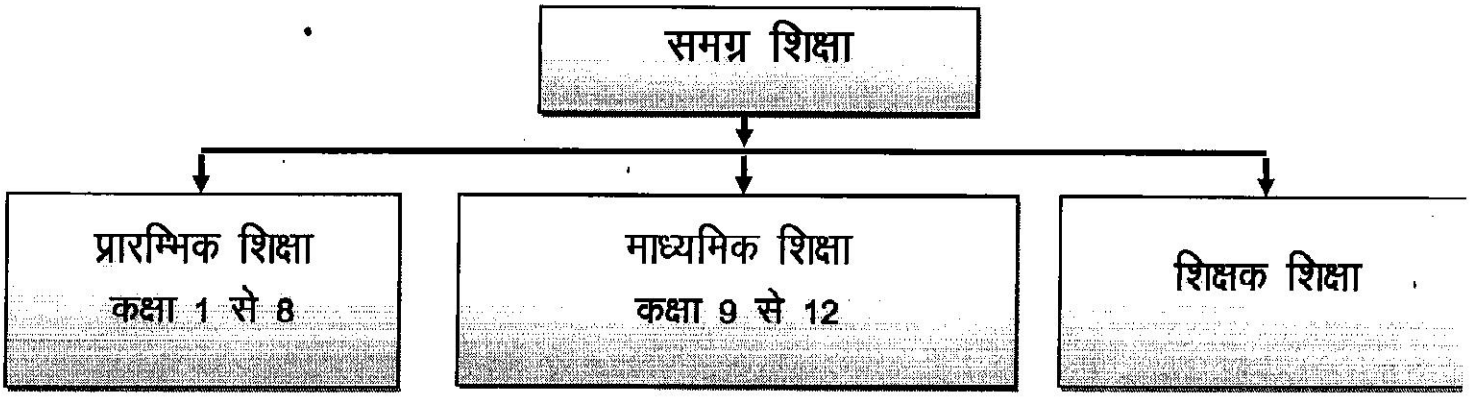

विभाग का प्रशासनिक ढाँचा

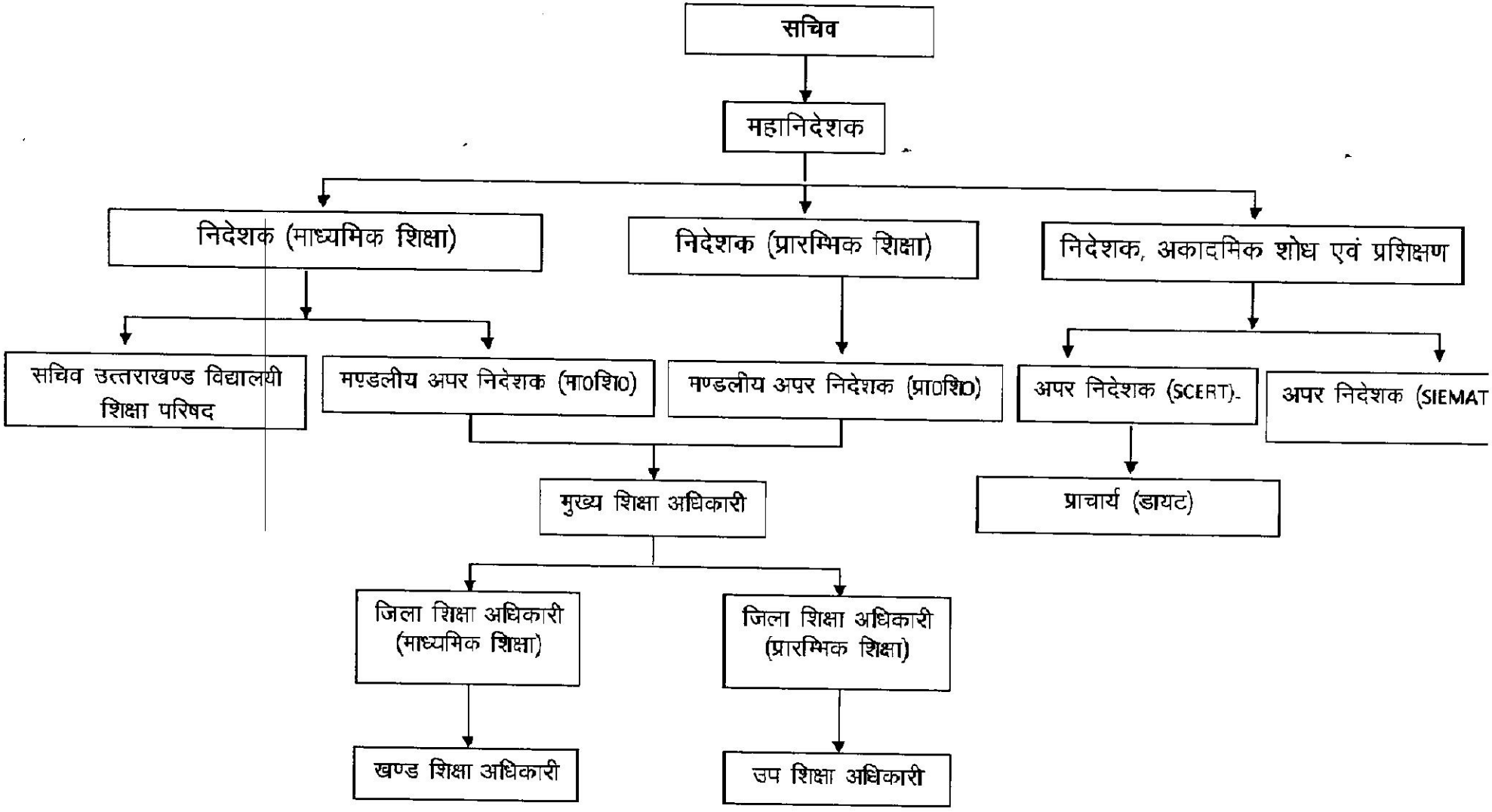

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं का विवरणः–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	समय	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग/अल्प संख्यक) के आवेदन पत्रों का समाज कल्याण विभाग को अग्रसारण	10 दिवस	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिलाधिकारी
2	समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने पर (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग/ अल्प संख्यक) छात्रवृत्ति का वितरण	समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014 से लाभान्वित होने वाले छात्र–छात्राओं के बैंक खाते में ऑन–लाइन धनराशि प्रेषित की जाती है। विभाग द्वारा केवल लाभान्वित छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र ही अग्रसारित किये जाने हैं।			
3	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0)	07 दिवस	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिलाधिकारी
4	मूल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय	15 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
5	डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय	30 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
6	मूल अंकपत्र जारी करने का निर्णय	15 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
7	डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करने का निर्णय	15 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
8	सुधार कर सही प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय	30 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
9	सुधार कर अंकपत्र जारी करने का निर्णय	30 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
10	रद्द परीक्षा परिणाम पर निर्णय	45 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
11	रोक परिणाम पर निर्णय	45 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
12	अधूरा/गलत परिणाम के सुधार पर निर्णय	45 दिवस	अपर सचिव (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
13	सीबीएसई/आईसीएसई से सम्बद्धता के लिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए एनओसी	60 दिवस	मुख्य शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी– श्री जगमोहन सोनी, उप निदेशक, (विविध/अकादमिक)
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
दूरभाष– 01352781440